



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937

No. 689]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

का.आ. 919 (अ) —केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दिल्ली (जिसमें इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, दिल्ली कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री कृष्ण मोहन साहनी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस.,
मकान नं० 38, पाकेट 2, जसोला विहार, अपोलो अस्पताल के पीछे,
नई दिल्ली - 110025. —अध्यक्ष
 2. श्री कमल के. पंत (आचार्य),
रासायनिक इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016. —सदस्य
 3. निदेशक,
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्बेस्टिंग क्लाइमेट चेंज (एम.जी.आई.सी.सी.सी.),
पर्यावरण विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार। —सदस्य-सचिव
2. प्राधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, दिल्ली ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

प्राधिकरण, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर उनका विनिश्चय करेगा।

5. प्राधिकरण, दिल्ली की सहायता के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार से परामर्श करके राज्य स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., दिल्ली कहा गया है) का गठन करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1. डॉ. मुकेश खेर (आचार्य),
सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016. —अध्यक्ष
2. डॉ. नवीन कुमार (आचार्य और प्रधान),
यांत्रिक इंजीनियरी विभाग,
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
दिल्ली -- 110042. —सदस्य
3. डॉ. एस. के. सिंह (आचार्य),
सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी विभाग,
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
दिल्ली -- 110042. —सदस्य
4. डॉ. श्रीमती रीता कुमारी (प्रतिष्ठित वैज्ञानिक),
पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग,
इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, डी.यू.,
नार्थ कैम्पस, माल रोड, दिल्ली - 110007. —सदस्य
5. डॉ. संजय गुप्ता (आचार्य),
यातायात योजना विभाग,
योजना और स्थापत्य कला विद्यालय, 4-ब्लॉक-बी,
इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली -- 110002. —सदस्य
6. डॉ. सुमन लखनपाल (आचार्य),
वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
नार्थ कैम्पस, विश्वविद्यालय रोड, विज्ञान संकाय,
विश्वविद्यालय एन्क्लेव, दिल्ली - 110007. —सदस्य
7. डॉ. अमरजीत कौर (आचार्य),
सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज,
गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय,
ई-ब्लॉक, 106 और 107, सेक्टर-16 सी, द्वारका,
नई दिल्ली। —सदस्य
8. डॉ. अनुपम चट्टोपाध्याय,
भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
34, छात्र मार्ग, दिल्ली - 110007. —सदस्य
9. श्रीमती मीनाक्षी धोते,
पर्यावरण योजना विभाग, —सदस्य

योजना और स्थापत्य कला विद्यालय, 4-ब्लॉक-बी,
इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।

10. निदेशक (पर्यावरण),

—सचिव

पर्यावरण विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. एस.ई.ए.सी., दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., दिल्ली ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., दिल्ली, सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एक मत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकती हो तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

9. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्राधिकरण, दिल्ली और एस.ई.ए.सी., दिल्ली के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान, सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदत्त करेगा।

[सं. जे-11013/62/2007-आई.ए.-II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

S.O. 919 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Delhi (hereinafter referred to as the Authority for Delhi) comprising of the following Members, namely:—

1. Shri Krishna Mohan Sahni, IAS Retired
House No. 38, Pkt 2, Jasola Vihar, Behind Apollo Hospital,
New Delhi -110025

—Chairman

2. Dr. Kamal K Pant (Professor)
Department of Chemical Engineering IIT Delhi, Hauz Khas
New Delhi - 110016

—Member

3. Director,
Mahatma Gandhi Institute of Combating Climate Change
(MGICCC), Department of Environment, Government of
National Capital Territory of Delhi

—Member-Secretary

2. The Chairman and non-official Member of the Authority for Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Delhi shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Delhi shall base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the National Capital Territory of Delhi.

5. For the purposes of assisting the Authority for Delhi, the Central Government, in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Delhi (hereinafter referred to as SEAC for Delhi) comprising of the following Members, namely :—

- c/846
- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Dr. Mukesh Khare (Professor)
Department of Civil Engineering,
Indian Institute of Technology,
Delhi Hauz Khas, New Delhi - 110016 | —Chairman |
| 2. | Dr. Naveen Kumar (Professor and Head),
Mechanical Engineering Department,
Delhi Technology University, Delhi-110042 | —Member |
| 3. | Dr. S. K. Singh (Professor)
Civil and Environmental Engineering Department,
Delhi Technology University, Delhi-110042 | —Member |
| 4. | Dr. Mrs. Rita Kumar (Emeritus Scientist),
Environmental Biotechnology Division,
Institute of Genomics and integrative Biology DU
North Campus Mall Road, Delhi - 110007 | —Member |
| 5. | Dr. Sanjay Gupta (Professor)
Department of transport Planning,
School of Planning and Architecture, 4-Block-B,
Indraprastha Estate, New Delhi-110002 | —Member |
| 6. | Dr. Suman Lakhanpaul (Professor),
Department of Botany, University of Delhi,
North Campus, University Road Faculty of Science,
University Enclave Delhi-110007 | —Member |
| 7. | Dr. Amarjeet Kaur (Professor),
Centre of Disaster Management Studies,
Guru Gobind Singh, Indraprastha University,
E-Block, 106 and 107, Sector -16 C, Dwarka, New Delhi | —Member |
| 8. | Dr. Anupam Chattopadhyay
Department of Geology, University of Delhi,
34, Chhatra Marg, Delhi 110007. | —Member |
| 9. | Mrs. Meenakshi Dhote,
Department of Environment Planning,
School of Planning and Architecture, 4 Block B, I P Estate,
New Delhi. | —Member |
| 10. | Director (Environment), Department of Environment,
Government of NCT of Delhi | —Secretary |

6. The Chairman and Members of SEAC for Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC for Delhi shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC for Delhi shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of National Capital Territory of Delhi shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Delhi and SEAC for Delhi and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority for Delhi and the Chairman and Members of SEAC for Delhi shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of National Capital Territory of Delhi.

[No. J-11013/62/2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.